



प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

DepH - 3

CPB - 8

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7, 2000 (अश्विन 15, 1922)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 2000 (ASVINA 15, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) परा

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
केन्द्र-1 विश्व व्यापार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुम्बई-400005, दिनांक 23 सितंबर 2000

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND
DEVELOPMENT
WORLD TRADE CENTRE, CENTRE 1
CUFFE PARADE, COLABA
Mumbai-400005, the 23rd September 2000

सं. बैंपवि, आइबीएस. 655/23.03.004/2000-01--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे, अर्थात् :

"एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड" शब्दों के स्थान पर
"स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड" शब्द रखे जाएंगे।

DBOD No. IBS. 655/23.3.004/2000-01—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :

For the words "ANZ Grindlays Bank Limited" the words "Standard Chartered Grindlays Bank Limited" shall be substituted.

जी. पी. मुनियप्पन
कार्यपालक निदेशक

G.P. Muniappan
Executive Director

(4141)

संलग्न

3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2000

संख्या एम.सी.आई. 34(41)2000-चिकि. : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नए आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ और आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश की क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक इसका संबंध आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषज्ञता सहित) करने की अनुमति हेतु आवेदन तथा मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में एम.बी.बी.एस./उच्चतर पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन का संबंध है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :- (1) ये विनियम अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) तथा अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) विनियम, 2000 कहे जाएंगे। (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

सहायक

3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविला लाईन्स, दिल्ली-54

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956
(1956 का 102)

(ख) आयुर्विज्ञान कालेज से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जो जिस किसी भी नाम से जाना जाए, जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन करता है अथवा प्रशिक्षण पाता है जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शामिल है और वह इससे मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान योग्यता का अर्हक बनता है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त जो शब्द व वाक्यांश परिभाषित नहीं किए गए हैं इनका अर्थ वही होगा जो इन्हें अधिनियम में परिभाषित करते हुए निहित है ।

3.

नए अथवा अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम इत्यादि स्थापित करने के लिए अनुमति
- कोई भी आयुर्विज्ञान कालेज-

(क) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण सहित) आरम्भ नहीं करेगा जो किसी छात्र को, ऐसा अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान योग्यता का अर्हक बनाता है ।

(ख) पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण सहित) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा जब तक कि इन विनियमों के साथ अनुबंधित योजना को प्रस्तुत करके केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ले ली जाती ।

संस्थापित

२२ - ११ - ०६
३ - ३ - १६

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

**आयुर्विज्ञान कालेज अथवा संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अध्ययन
अथवा प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययन अथवा प्रशिक्षण साहित)
आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु योजना**

1. आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान के लिए अनुदेश :-

आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में आयुर्विज्ञान विषयों में उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए, आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान, मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित व समय-समय पर संशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997/स्नातकोत्तर शिक्षा विनियमों में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान पूरा करता हो। राज्य सरकार की अनुमति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम या राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विनियमों के अनुरूप मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान संबंधन प्रमाण-पत्र तथा अतिरिक्त वित्तीय विनिधान, अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था, उपस्करों तथा संरचनात्मक सुविधाएं तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के प्रतिमानकों के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की व्यवस्था संबंधी दस्तावेजी प्रमाण के साथ आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान केन्द्रीय सरकार को अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है।

2. आवेदन तथा आवेदन शुल्क प्रस्तुत करना :-

इस योजना के अधीन आवेदन (परिशिष्ट-1) पंजीकृत डाक द्वारा, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पक्ष में नई दिल्ली में देय दो लाख रुपए के गैर-वापसी आवेदन शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट

सन्मोदित

PN-2.0k
3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

के साथ सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाए। यह शुल्क, पंजीकरण, तकनीकी संवीक्षा तथा निरीक्षणों के लिए आकस्मिक प्रभारों के लिए है (डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए तीन निरीक्षण हैं) उपर्युक्त निरीक्षणों के अलावा सामान्य निरीक्षण शुल्क तथा पाठ्यक्रम मान्यता प्रदान करने के लिए निरीक्षण शुल्क भी संबंधित आयुर्विज्ञान कालेज अथवा संस्थान देगा जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से परिषद नियत करेगी।

3. अर्हक मानदण्ड :-

आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान नए तथा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) आरम्भ करने के अर्हक होंगे यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है :-

1. (1) आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान, एम.बी.बी.एस./स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त है।
- (2) मौजूदा/प्रस्तावित गैर शिक्षण विशेषज्ञ संस्थान या स्वायत्त निकाय जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं या प्रबंधन में है, केन्द्रीय सरकार उन्हें उप खण्ड (1) में निर्दिष्ट मानदण्ड से छूट दे सकती है।
2. आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करने की वांछनीयता एवं साध्यता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन से आवेदक द्वारा प्राप्त अनुमति पत्र।

सत्यापित

R.M. - 51
3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

3. मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान द्वारा संबंधन विश्वविद्यालय से लिया गया अनुमति पत्र ।
4. इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के अनुसार स्टाफ की संख्या, स्थान, निधियां, उपस्कर तथा अध्यापन बिस्तर आदि और अतिरिक्त उपस्कर तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान के पास साध्यता एवं समयबद्ध कार्यक्रम है ।
5. (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का चयन पूर्णतया शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगा जैसाकि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमों में अधिकथित है ;
- (2) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा तथा उन्नत-विशेषज्ञता नाम पद्धति और शिक्षक विद्यार्थी अनुपात स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमों में अधिलिखित अनुसार होंगे ।
6. आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान ने प्रत्येक विषय के लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार बैंक गारंटी की व्यवस्था की है :

स्नातकोत्तर डिग्री	-	85 लाख रुपए
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	-	64 लाख रुपए
उच्चतर विशेषज्ञता	-	128 लाख रुपए

अपवाद : उपर्युक्त शर्तें निम्न को लागू नहीं होंगी ।
 सरभाषन

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
 भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
 शहरी विकास मंत्रालय
 सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

- (1) राज्य सरकार द्वारा शासित आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान बशते कि व उनक द्वारा उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध कराए जाने तक नियमित रूप से अपने प्लान-बजट में निधियां उपलब्ध कराए जाने का वचन दें ।
- (2) नए या उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण सहित) जो शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव रसायन, जीव भौतिकी, औषध विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, न्याय वैद्यक, क्रीडा चिकित्सा, अस्पताल प्रशिक्षण स्वास्थ्य प्रशासन, मेरिन चिकित्सा विज्ञान, पोषण, भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वासन और वैमानिकी चिकित्सा, विषय से जुड़े हैं ।
- (3) डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करना जहां आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान ने स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए बैंक गारन्टी दी हुई है ।
- (4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करना जहां उसी विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए परिषद ने मान्यता प्रदान की हुई है ।

4. आवेदन का पंजीकरण :-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अधूरे आवेदन अनुलग्नकों तथा आवेदन शुल्क के साथ कमियां इंगित करते हुए आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान को लौटा देगा ।

सहायक

3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

हर प्रकार से पूर्ण पाए गए आवेदन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे और मूल्यांकन एवं सिफारिश के लिए 30 दिन के अन्दर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को अग्रेषित किए जाएंगे। आवेदन स्वीकार करने का अर्थ मात्र मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकार करना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसका अर्थ अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन का अनुमोदन नहीं होगा। नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण सहित) स्थापित करने के लिए आवेदन के प्रक्रमण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन निर्धारित एक वर्ष की अवधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवेदन पंजीकरण की तारीख से आरम्भ होगी।

5. निर्धारित अवधि :-

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में, प्राधिकारियों तथा योजना प्रस्तुत करने वाले संस्थानों द्वारा परिषद अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गयी कोई और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख में लगने वाला समय शामिल नहीं किया जाएगा।

6. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मूल्यांकन :-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद प्रथमतः प्रस्तावित मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नए या उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण सहित) के लिए वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया साध्यता और योजना के लिए आवश्यक संसाधन तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन का मूल्यांकन करेगी।

अर्थात्

3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

आवेदन का मूल्यांकन करते समय परिषद आवेदक से आवश्यकता अनुसार और सूचना स्पष्टीकरण या अतिरिक्त प्रलेख की आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान से मांग कर सकती है तथा इनके सत्यापन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी। आवेदन प्राप्ति की तारीखें तथा इसके प्रक्रमण के लिए तारीखें विनियमों के साथ अनुसूची में दी गयी हैं।

7. अनुमति प्रदान करना :-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार मूल प्रस्ताव में आशोधनों व शर्तों के अनुसार नए या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान के आशय-पत्र जारी करेगी। आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान को उपर्युक्त शर्तों व आशोधनों को स्वीकार करने पर तथा बैंक गारन्टी जमा करा देने के उपरांत विधिवत् अनुमति प्रदान की जाएगी।

सहायक

३-२-१६

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

परिशिष्ट-1

आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित) आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु आवेदन का प्ररूप

आवेदक के ब्योरे :-

एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा/डी.एम./मास्टर चिह्. पाठ्यक्रम हेतु आवेदन _____

1. आवेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पता
(स्पष्ट अक्षरों में)
3. पंजीकृत कार्यालय
गली, नगर, पिन कोड, टेलीफोन, टैलेक्स,
टेलीफैक्स
4. गठन
(विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ शासित
क्षेत्र/स्वायत्त निकाय,सोसायटी/न्यास)
5. पंजीकरण/संस्थापना
(संख्या तथा तारीख)
6. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम

सहायक
सहायक

एन.जी.के.
3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

7. अनुमोदित सीटों की संख्या तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्रदान करने की तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

आयुर्विज्ञान कालेज

अनुलग्नकों की सूची

1. संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा विहित प्रोफार्मा में जारी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता की सहमति की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
3. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को प्राधिकृत करने के संबंध में आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान का बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र ।
4. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से कालेज/संस्थान की मान्यता के अनुमोदन संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

टिप्पणी : सभी प्रतिलिपियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हों ।

सत्यापित

3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54